


# कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली।

पत्रांक: मु०चिअ० / एन०टी०सी०पी० / विज्ञापन / 2017-18/535ए।-४ दिनांक: 23-12-17

## आदेश

प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन के पत्रांक: 3976-पु०-15-2017 दिनांक: 14.11.2017 के क्रम में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादक (विज्ञापन) अधिनियम- 2003(सी०ओ०टी०पी०ए०- 2003) के प्रभावी क्रियान्वयन लागू किये जाने के निर्देश निम्नवत् दिये गये हैं-


- 1- समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को सचेत किया जाता है कि मसाला, गुटखा, पान तम्बाकू तथा धूमपान कार्यालय परिसर में पूर्ण प्रतिबन्धित है। उक्त का सेवन करते हुये पकड़े जाने पर 200 रु० का जुर्माना देय होगा।
- 2- समस्त आगन्तुकों से अनुरोध है कि कार्यालय/चिकित्सालय परिसर में मसाला, गुटखा, तम्बाकू धूमपान न करें पकड़े जाने पर रुपये 200/- का जुर्माना देय होगा तथा Cotpa के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
बरेली।  
तददिनांक

पत्रांक: मु०चिअ० / एन०टी०सी०पी० / विज्ञापन / 2017-18

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बरेली मण्डल बरेली।
- 2- मण्डलीय अपर निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, महाराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय, बरेली।
- 3- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बरेली।
- 4- डा० आर०एन०गिरी, नोडल अधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, बरेली को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
- 5- जिला क्षय रोग अधिकारी/जिला कुष्ठ अधिकारी/जिला मलेरिया अधिकारी, समस्त अधी०/प्रा०चि०अ०, सामु०/प्रा०स्वा० केन्द्र, बरेली।

  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
बरेली।